



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072022-237304
CG-DL-E-15072022-237304

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3040]
No. 3040]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2022

का.आ..3198(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1018 (अ), दिनांक 28 मार्च 2017 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47बी का 0.000 कि.मी. से 22.600 कि.मी. (नागरकोइल से कवलकिनारू सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “नियम” कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47बी (नया एनएच-944) के नागरकोइल से कवलकिनारू खंड के डिज़ाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 16.376 (मौजूदा किमी 4.900 से किमी 22.600) तक चार लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 0.497 कि.मी. और 5.530 कि.मी (जिनकी लंबाई 0.553 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर और बाईपास जिनकी लंबाई 15.226 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्घहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे लिए जाने वाला एवं संग्रहित किए जाने वाला शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में थिरुपतिसरम गांव के निकट एनएच-47बी के 2.420 कि.मी./चेनेज पर	0.497 (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा:-

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	बाईपास का नाम	शुरुआत	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ में)	
तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में थिरुपतिसरम गांव के निकट एनएच-47बी के 2.420	नागरकोइल से कवलकिनारु बाईपास	डिजाइन कि.मी 0.497 (विद्यमान कि.मी.	डिजाइन कि.मी 16.376 (विद्यमान कि.मी.	15.226 60 मीटर की लंबाई को छोड़कर अर्थात (0.553)	446.70	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%

कि.मी./चेनेज पर		5.300)	22.600)			
कुल				15.226	446.70	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई* (किमी में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में थिरुपतिसरम गांव के निकट एनएच-47बी के 2.420 कि.मी./चेनेज पर	0.553*	5.53	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%

विवरण निम्नानुसार है:

चेनेज (जरीब-दूरी)		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
कि.मी. से	कि.मी. तक		
0.590	0.696	नलिकुलम ब्रिज	0.106
1.303	1.376	अन्नाईकुलम ब्रिज	0.073
2.034	2.107	कोठंडारामनकुलम ब्रिज	0.073
5.036	5.253	अय्यनपुदुकुलम ब्रिज	0.217
12.465	12.549	अंदुवथिकुलम ब्रिज	0.084
	कुल		0.553

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

तालिका-5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास अथवा अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 533.31 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू/एनजीएल/एनएच-47एवं47बी/पैकेज-2/टोल/2021]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 14th July, 2022

S.O. 3198(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1018(E) dated the 28th March 2017, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 0.000 to Km 22.600 (Nagercoil to Kavalkinaru Section) of National Highway Number 47B, in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 0.497 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.530 km (having length of 0.553 km) and at one and one half times the base rate for bypass having length of 15.226 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane of Nagercoil to Kavalkinaru from design kilometer 0.000 to kilometer 16.376 (existing km 4.900 to km 22.600) of National Highway Number 47B (New NH-944) in the State of Tamil Nadu and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table - 1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per Km. for the baseyear 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goodsvehicles or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment(EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or moreaxles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the FeePlaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza(chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 2.420 of NH-47B near Thirupathisaram village in Kanyakumari district of State Tamil Nadu	0.497 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :-

Table 3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	TakingOff	Merging at	Length and Cost ofbypass for which additional fee is payable		Rate atwhich Fee is payable
				Length	Cost (in Rs.Crore	
				(in Km.)		
At Km/Ch. 2.420of NH-47B near Thirupathisaram village in Kanyakumari district of StateTamil Nadu	Nagercoilto Kavalkinaur Bypass	Designkm 0.497 (existing km 5.300)	Designkm 16.376 (existingkm 22.600)	15.226 (Excluding length of structures (>60m) i.e. 0.553 km)	446.70	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Total				15.226	446.70	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 2.420 of NH-47B near Thirupathisaram village in Kanyakumari district of State Tamil Nadu	0.553*	5.53	100% for four and more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details are as under: -

Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
From Km	To Km		
0.590	0.696	Nullikulam Bridge	0.106
1.303	1.376	Ennaikulam Bridge	0.073
2.034	2.107	Kothandaramankulam Bridge	0.073
5.036	5.253	Ayyanpudukulam Bridge	0.217
12.465	12.549	Andruvathikulam Bridge	0.084
	Total		0.553

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 285.00 (Rupees Two Hundred and Eighty five Only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is **Rupees 533.31 crore**. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F.No. NHAI/PIU/NGL/NH-47&47B/Pkg-2/Toll/2021]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.